डीआरआई ने दुबई से आए एक यात्री से आईजीआई हवाई अड्डे पर लगभग 75.6 करोड़ रुपये मूल्य की 7.56 किलोग्राम कोकेन जब्त की, एक व्यक्ति गिरफ्तार

प्रविष्टि तिथि: 15 APR 2025 4:50PM by PIB Delhi

मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण अभियान में विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) ने दुबई से आए एक भारतीय नागरिक को 14 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया।

यात्री के सामान की गहन तलाशी के बाद पता चला कि उसमें पांच खाली हैंडबैग/पर्स हैं। इन पांच हैंड बैगों की अंदरूनी परतों को खोलने पर उनमें छिपाकर रखे गए सफेद रंग के पाउडर के 10 पैकेट मिले, जिनका वजन 7.56 किलोग्राम था और जिनकी कीमत लगभग 75.6 करोड़ रुपये थी। पैकेट में रखी चीज का परीक्षण करने पर कोकेन पाया गया।

पकड़े गए व्यक्ति को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया। डीआरआई मादक पद्धार्थों के स्रोत का पता लगाने और तस्करी के संचालन में शामिल किसी भी संभावित नेटवर्क की पहचान करने के लिए आगे की जांच कर रही है।

***

एमजी/केसी/आईएम/एसवी

(रिलीज़ आईडी: 2121899) आगंतुक पटल : 389

इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Urdu , Marathi , Tamil